इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 मार्च, 2013—चैत्र 1, शक 1935

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1)	मध्यप्रदेश विधेयक,	(2)	प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3)	संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख)	(1)	अध्यादेश,	(2)	मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3)	संसद के अधिनियम.
(ग)	(1)	प्रारूप नियम,	(2)	अन्तिम नियम.		

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. एफ. 1-23-2012-अट्ठावन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग;

(ग) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन समिति/विभागीय पदोन्नति समिति;

(घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग;

(ङ) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन इस सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(छ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(ज) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा, समय-समय पर; यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5/पच्चीस/4/84, तारीख 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(झ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उद्यानिकी (राजपत्रित) सेवा;

(ड) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :—

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों, और

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक एफ.-11-1-2008-नियम-4, दिनांक 24-1-2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा या साक्षात्कार द्वारा या दोनों द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार के कालम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी, यदि ऐसा अपेक्षित हो.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग तथा आयोग की पूर्व सहमति से उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो वह इस निमित्त जारी किये गए आदेश द्वारा, विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें.**—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

(1) **आयु.**—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो;

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए उच्चतम आयु-सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतम आयु-सीमा, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा. बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु-सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—पद ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और :—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर ;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;
सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व सैनिक

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शमिल हैं, उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों;

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें नि:शक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो;

(ङ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत किसी दम्पत्ति के सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(च) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(छ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) विक्रम पुरस्कार धारक के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ञ) नगर सेना (होमगार्डस्) के स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं नान-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 3 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

(ट) निराश्रित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

टिप्पणी—(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त नियम 8(1) (घ) और (दो) में उल्लिखित रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिये सम्मिलत किया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्याग-पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. किसी अन्य मामले में आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में सम्मिलित होने के लिये उनके नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**.—अभ्यर्थी के पास, सेवा के लिये विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए जो अनुसूची-तीन में यथाविनिर्दिष्ट हैं :

परन्तु,—

(क) आयोग, अपवादिक मामलें में, सरकार के परामर्श से, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो आयोग की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिए पात्र ठहराता हो; और

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हैं, किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो, जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी है आयोग के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिए विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस**.—अभ्यर्थी को आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता**.—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये किसी भी प्रयास को, आयोग द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा.

(2) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति/पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिये निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म हुआ है, किसी सेवा में या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हैं, तो उसकी नियुक्ति अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जायेगी.

(5) कोई पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थी के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा**.—चयन में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अपात्रता के संबंध में आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे आयोग द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, आयोग द्वारा परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती**.— (1) द्वितीय सेवा श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा तथा साक्षात्कार ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर अवधारित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जो कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर जारी करे.

(3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21, सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्त पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तयों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(7) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी/आयोग की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां आयोग, सरकार के परामर्श के पश्चात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(9) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(10) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों सकें तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग से सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना नहीं भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आगामी चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी.

(11) अभ्यर्थी को अपनी सेवा कालावधि के दौरान मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उपबंधों का पालन करना होगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—(1) आयोग, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों, जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं, किंतु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है. योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची आयोग द्वारा जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी जो आयोग की सहमति से छह माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जाएगी.

13. **परिवीक्षा.**—सेवा में सीधी भर्ती किए गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—(1) पदोन्नति के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों को छोड़कर, नामनिर्देशित किए गये सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक साधारणतया वर्ष में कम से कम एक बार होगी.

(3) **नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन**—नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के और नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों तथा बनाये गये नियमों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्व संज्ञान है.

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति की प्रक्रिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए समिति, उन व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे कि पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और, जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति पर केवल इस तथ्य के आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लिखित विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) चयन सूची में विचारार्थ क्षेत्र में व्यक्तियों का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धान्त पर उपलब्ध समस्त पदों के लिए किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार सूची में उपलब्ध पदों के 25 प्रतिशत पद प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे. ऐसे पदों की दशा में, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले हैं, विचारण क्षेत्र दो गुना+4 होगा. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, यदि सामान्य विचारण क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपलब्ध रिक्तियों के सात गुना तक विचारण क्षेत्र को बढ़ाया जा सकेगा.

(3) अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये विचारण क्षेत्र हेतु मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे.

16. **उपयुक्त अभ्येर्थियों की सूची तैयार करना.**—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों और जो समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गए हों यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होंगी.

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिनका पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गयी सूची का प्रत्येक वर्ष पुनरीक्षण तथा पुनर्विलोकन किया जायेगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **आयोग से परामर्श.**—विभागीय पदोन्नति समिति जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या सदस्य द्वारा की जाए की सिफारिश के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के अधीन आयोग से परामर्श की अपेक्षा के अनुपालन में की गई है तथा आयोग से पृथक् से परामर्श आवश्यक नहीं होगा.

18. **चयन सूची.**—(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची-चार के कालम (2) में दर्शाये गये पदों से अनुसूची-चार के कालम (3) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची, जब तक कि नियम 16 के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणत: एक वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कुल अवधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, यदि वह उचित समझे ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (काडर) के पदों पर नियुक्ति उसी क्रम से की जाएगी, जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणत: उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो सरकार की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

20. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो. कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परन्तु कोई मामला, ऐसी रीति में नहीं निप्टाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिए कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए उपबंध किये जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन.**—मध्यप्रदेश कृषि (उद्यानिकी) राजपत्रित सेवा भर्ती नियम, 1987 तथा इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम यदि कोई हों, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवर्त हों, इन निमयों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी भी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पद की संख्या

अनु क्रमांक	विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	उद्यानिकी विभाग	संचालक	1	प्रथम श्रेणी	37400—67000+10000	भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय वन सेवा या अपर संचालक की विभागीय पदोन्नति से
2		अपर संचालक	2	प्रथम श्रेणी	37400—67000+8,700	—
3		संयुक्त संचालक	12	प्रथम श्रेणी	15600—39100+7600	—
4		उप संचालक	22	प्रथम श्रेणी	15600—39100+6600	—
5		लेखाधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
6		सहायक संचालक उद्यान	54	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
7		प्रशिक्षण अधिकारी	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
8		सहायक संचालक सांख्यिकी	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—
9		सहायक संचालक स्थापना	1	द्वितीय श्रेणी	15600—39100+5400	—

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		अन्य सेवाओं से स्थानान्तरण द्वारा यदि कोई हो
			सीधी भर्ती द्वारा नियम 6(1)(क)	पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	संचालक, उद्यानिकी	1	-	100%	-
2	अपर संचालक, उद्यानिकी	2		100%	-
3	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी	12		100%	-
4	उप संचालक, उद्यानिकी	22		100%	-
5	लेखाधिकारी, (लेखा सेवा)	1			कोष एवं लेखा संचालनालय की सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
6	सहायक संचालक, उद्यानिकी	54	30%	70%	प्रतियोगी परीक्षा द्वारा
7	प्रशिक्षण अधिकारी	1	-	100%	-
8	सहायक संचालक, सांख्यिकी	1	-	100%	-
9	सहायक संचालक, स्थापना	1	-	100%	-

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उद्यानिकी विभाग	मध्यप्रदेश राज्य उद्यानिकी सेवा सहायक संचालक, उद्यानिकी	21 वर्ष	40 वर्ष	उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर.	

अनुसूची-चार

(नियम 15 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाएगी	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाएगी	पदोन्नति के लिये सेवा की न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उद्यानिकी विभाग.	अपर संचालक	संचालक	3 वर्ष	1. मुख्य सचिव—अध्यक्ष 2. अपर मुख्य सचिव—सदस्य 3. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यानिकी —सदस्य. 4. समान श्रेणी का अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट अधिकारी—सदस्य.
	संयुक्त संचालक	अपर संचालक	3 वर्ष	
	उप संचालक	संयुक्त संचालक, उद्यानिकी.	3 वर्ष	
	सहायक संचालक, उद्यानिकी.	उप संचालक, उद्यानिकी.	5 वर्ष	1. अध्यक्ष म. प्र. लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा मनोनीत सदस्य—अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव/सचिव, उद्यानिकी —सदस्य. 3. आयुक्त/संचालक, उद्यानिकी —सदस्य. 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का नामनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी —सदस्य.
	वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी	सहायक संचालक, उद्यानिकी.	5 वर्ष	
	वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी.	प्रशिक्षण अधिकारी	5 वर्ष	
	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	सहायक संचालक, सांख्यिकी.	5 वर्ष	
	अधीक्षक	सहायक संचालक, स्थापना.	5 वर्ष	

Bhopal, the 13th March 2013

No. F-1-23-2012-LVIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Madhya Pradesh Horticulture (Gazetted) Service, namely:—

RULES

1. **Short title.**- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Horticulture (Gazetted) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires:

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government of Madhya Pradesh;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Committee" means the selection Committee / Departmental Promotion Committee.

(d) "Director" means the Director of Horticulture and Farm Forestry;

(e) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rules 12;

(f) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(g) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(h) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification no. F-85-XXV-4-84 dated 26th December, 1984 as amended from time to time.

(i) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Schedule Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(k) "Scheduled Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Horticulture Gazetted Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every members of the Service as mentioned in Schedule-I

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

(1) The persons who at the time of commencement of these rules are holding substantively or in the officiating capacity the posts specified in Schedule-I;

(2) The persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) The persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification of Service, Scale of Pay, etc.**—(1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provision contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the Service shall be entitled to Time-scale of Pay under the provisions of the Circular no. F-11-1-2008-Niyam-4, dated 24th January 2008 issued by the Finance Department.

6. **Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment through Competitive Examination/ Selection or interview are by both;

(b) By promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons who holds in a substantive or in officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the Government.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage specified in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the commission if required.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department, and the commission adopt such methods of recruitment to the service, otherthan those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment.**—In order to be eligible for selection/examination a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age.**—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January next following the date of commencement of the examination / selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age.

(ii) A candidate who is holding a temporary post and applying for another post should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees.

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

(d) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:—The term "ex-servicemen" denotes a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India, for a continuous period of not less than

six months, and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term engagement;

(b) Fulfilling the conditions of enrolment;

(3) Such ex-personnel from Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalidated out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the Inter caste Marriage Incentive Programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of widow, destitute and divorcéed woman candidate.

(g) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 2 years for those candidates who holds 'Green Card' under the family planning programme.

(h) The upper age limit shall be relaxed up to maximum period of 5 years in respect of Vikram Awarded candidate.

(i) The upper age limit shall be relaxed shall be relaxed upto 45 years in respect of candidate who are employees of any of the Madhya Pradesh State Corporation / Board.

(j) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

(k) The upper age limit shall be relexable to the destitute candidates as per instructions issued by the State Government from time to time.

Note :—(1) Candidates, who are admitted to the examination / selection under the concessions mentioned in rules 8 (1) (d) and (ii) above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination /selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(2) **Educational Qualifications.**- A candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as specified in Schedule III.

Provided that:—

(a) In exceptional cases, the commission may in consultation with the Government on its recommendation treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by other institutions by such a standard for which, the Commission, considers the candidate eligible to appear in the selection/examination:

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for the selection on the discretion of the Commission.

(3) **Fees.**—The Candidate must pay the fees prescribed by the Commission.

9. **Disqualifications.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him appearing in the examination / selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service / promotion, who is married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than two living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment for a service or post who has been convicted for an offense against women:

Provided that where such cases are pending in a court against a Candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of criminal case.

(5) Male candidate who have more than one wives alive and female candidates who marries a male who has one wife alive will not be eligible for appointment.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final.**— The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of candidate for admission to selection shall be final and no candidate, to whom certificate of admission has not been issued by the commission, shall be allowed to appear in the examination / interview.

11. **Direct Recruitment through Competitive Examination.**—(1) The competitive examination and interviews for recruitment on class II posts to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the commission, determine from time to time.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders, as the Government may from time to time issue in consultation with the commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belongig to scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes at the stage of the direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyaon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per orders issued by the State Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to is rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes declared by the committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of

administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) There shall be reserved posts for disabled candidates in accordance will the direction of the General Administration Department.

(7) There shall be reserved post for ex-serviceman with the direction of the General Administration Department.

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as an essential condition for the post to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority / Commission that there is a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available, the appointing authority / commission may relax such condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with the Government.

(9) There shall be reserved posts for women candidates, in accordance with the provision of Madhya Pradesh Civil Service, (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1977.

(10) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled from other candidates without prior permission of the Government and vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection.

(11) The candidate shall follow the provision of Madhya Pradesh Civil Service (Conduct) Rule, 1965 during his whole service period.

12. **List of candidates recommended by the Commission.**—(1) The commission shall prepare and forward a list of the appointing authority arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standard as determined by the commission and a list of the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled list of the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, who though not qualified by that standard, are declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied after such inquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

(4) The selection list shall be valid for the duration of one year from the date of issue by the Commission, which will be extended for the period of six months with the consent of commission.

13. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by promotion.**—(1) There shall be constituted a committee for making selections for promotion of eligible candidates consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the department promotion committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent category of Schedule Castes or Schedule Tribes then one member belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members or Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Departmental Promotion Committee shall ordinarily meet at intervals not exceeding one year.

(3) **Certification by the appointing authority**.— The appointing authority shall endorse on the promotion order to be used by him, a certificate to the effect that he was complied with the provisions of the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon aur Anya Pichhade Vargon ke liye arakshan) Adhiniyam, 1994 (no. 21 of 1994) and the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhiniyam and the Rules made by the State Government and that he has full cognizance of the provisions of sub-section (1) of Section 6 of the said Adhiniyam.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be accordance with the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time.

15. **Conditions for eligibility for promotions**.—(1) Subject to the provision of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all the person, who has completed such number of year of service (whether officiating or substantive) on the Ist day of January of that year on the post from which promotion is to be made on or any other post declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2) :

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub-rule.

(2) For selection of persons in the zone of consideration from the select list the principle of seniority cum merit will be followed for all the available posts and the list will be so prepared that 25 percent of the available posts are kept as waiting list. In case of posts that are to be filled on merit cum seniority, the zone of consideration will be two times plus four of the posts available to be filled up by promotion. In case of candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes if persons are not available in sufficient number from the normal zone of consideration then the zone of consideration shall be increased to seven times of the available vacancies.

(3) For the zone of consideration of promotion, of the candidate the provisions the Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 of the candidate shall apply.

16. **Preparation of List of Suitable candidate**.—(1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who qualify the conditions laid down in Rule 15, who are eligible for promotion. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list.

(2) The criteria for preparation of select list shall be as per the provision of Madhya Pradesh of Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The name of persons included in the select list shall be arranged in the order of seniority in the service or post as specified in column (3) of Schedule IV.

Explanation.—A person whose name is included in a select list shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record reasons for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission**.—The recommendation of Departmental Promotion Committee presided over by the Chairmanship or a Member or Chairman of the Commission shall be deemed to be compliance of the requirement of consultation with the Commission under clause (3) of Article 320 of the constitution and it shall not necessary to consult the commission separately.

18. **Select List**.—(1) The Select list as finally approved by the Government will be the list for promotion for the members of the service from the posts given in column (2) of Schedule IV to posts mentioned in column (3) of Schedule IV.

(2) The Select List shall ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of rule 16 but its legal validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grove lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Government and the commission may, If deems fit, may remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the Service from the Select List.**—(1) Appointments of the persons included in the Select List to the posts borne on the cadre of service shall follow the order of seniority in which the names of such persons appear in the select list.

(2) If shall not ordinarily be necessary to consult the commission before the appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Government is such as to render his unsuitable for the appointment to the service

20. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be it to just and equitable :

Provided that the case shall not be dealt with any manner less favorable to the person than that provided in these rules.

22. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instruction issued by the State Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving.**- The Madhya Pradesh Agriculture (Horticulture) Gazetted Service Recruitment Rules, 1987 and the rules, corresponding to these rules, if any, and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matter covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See rule 5)

Classification of Service, Pay Scale and number of post included in the service

S. No. (1)	Name of Department (2)	Name of the Post included in the service (3)	Number of Posts (4)	Classification (5)	Scale of Pay (6)	Remark (7)
1.	Department of Horticulture	Director	1	Class-I	37400-67000+10000	From Indian Administrative Services or Indian Forest Services or Departmental Promotion from Additional Director
2		Additional Director	2	Class-I	37400-67000+8700	—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3		Joint Director	12	Class-I	15600-39100+7600	—
4		Deputy Director	22	Class-I	15600-39100+6600	—
5		Account Officer	1	Class-II	15600-39100+5400	—
6		Assistant Director Horticulture.	54	Class-II	15600-39100+5400	—
7		Training Officer	1	Class-II	15600-39100+5400	—
8		Assistant Director Statistics.	1	Class-II	15600-39100+5400	—
9		Assistant Director Establishment.	1	Class-II	15600-39100+5400	—

SCHEDULE-II

(See, Rule-6)

S. No.	Name of the Post included in the serivce	Total No. of Posts	Percentage of the number of post to be filled in		Transfer from other Services if any
			By direct recruitment [rule 6 (1) (a)]	By Promotion [rule 6 (1) (b)]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Director, Horticulture	1	-	100%	-
2	Additional Director, Horticulture.	2	-	100%	-
3	Joint Director, Horticulture.	12	-	100%	-
4	Deputy Director, Horticulture.	22	-	100%	-
5	Account Officer (Account Services).	1	-	-	Deputation from Accounts and Treasury Services.
6	Assistant Director, Horticulture	54	30%	70%	By Competitive Examination.
7	Training Officer	1	-	100%	-
8	Assistant Director, Statistics	1	-	100%	-
9	Assistant Director, Establishment.	1	-	100%	-

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Post or Service (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Minimum Educational Qualification (5)	Remark (6)
Department of Horticulture.	Madhya Pradesh State Horticulture Services.				
	Assistant Director, Horticulture.	21 yrs.	40 yrs.	Post-Graduate in Horticulture.	

SCHEDULE-IV

(See, Rule-15)

Name of Department (1)	Name of Post from which promotion is to be made (2)	Name of Post to which promotion is to be made (3)	Minimum Period of service for promotion (4)	Name of Members of Departmental Promotion Committee (5)
Horticulture Department.	Additional Director.	Director	3 years	1. Chief Secretary—**Chairman** 2. Additional Chief Secretary —**Member.** 3. Principal Secretary/Secretary Horticulture—**Member.** 4. Nominated member belonging of Scheduled Castes, Scheduled Tribes of equal rank—**Member.**
	Joint Director	Additional Director.	3 years	
	Deputy Director	Joint Director	3 years	1. Chairman Madhya Pradesh Public Service Commission or nominated member—**Chairman.** 2. Principal Secretary/Secretary Horticulture—**Member.** 3. Commissioner/Director Horticulture —**Member.** 4. Nominated Gazetted Officer from Scheduled Castes, Scheduled Tribes—**Member.**
	Assistant Director, Horticulture.	Deputy Director Horticulture.	5years	
	Senior Horticulture Development Officer.	Assistant Director, Horticulture.	5years	
	Senior Horticulture Development Officer.	Training Officer.	5years	
	Assistant Statistical Officer.	Assistant Director, Statistics	5years	
	Superintendent	Assistant Director, Establishment.	5years	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. तंवर, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. एफ-1-02-2013-अट्ठावन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिकीय) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये नियम ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, नियम 14 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 सितम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (लिपिकीय) सेवा;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची-एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित होंगे,—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के उपबंधों के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवा में ऐसे पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, शासन द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो, तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वी सहमति के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, संचालक द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिये पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :—

(1) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.

(2) **आयु.**—

(क) उस वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती की जाना हो, पहली जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत् कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम सात वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—ऐसे अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हैं, से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और,—

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं), जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(पांच) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छह) विधवा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में, सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(सात) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल होगी.

(आठ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल होगी.

(नौ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल होगी.

(दस) नगर सेना (होम गार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी. यह शिथिलीकरण 3 वर्ष तक होगा, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

टिप्पणी :

(1) ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिये सम्मिलित किया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 3-11-2012 तथा दिनांक 20-11-2012 में यथा उल्लिखित अनुसार होगी.

(3) इस खण्ड में उपबंधित समस्त रियायतें सम्मिलित करते हुए समस्त श्रेणियों में अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(4) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिये अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी.

(3) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में दर्शाई गई निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए :

परंतु,—

(क) आपवादिक मामलों में शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये योग्य समझता हो; और

(ख) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के विवेक पर चयन के लिये ऐसे अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकेगा जो अन्यथा अर्हित हैं किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं, जो सरकार द्वारा विशिष्टतया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों.

(4) **फीस.**—अभ्यर्थी को व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा.

(2) कोई अभ्यर्थी, सेवा/पदोन्नति में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक जुड़वा संतान के रूप में जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोषसिद्ध है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध मामले लंबित हैं, तो मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जायेगा.

(5) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थियों के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा/होगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा.**—चयन के लिये प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती.**—

(क) (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि संचालक समय-समय पर व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की सलाह से अवधारित करें.

(2) परीक्षा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसा कि संचालक, समय-समय पर, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की सलाह से जारी करें.

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तयों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान क्रमशः ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं. यह आरक्षण हीरीजेन्टल (क्षेतिज) होगा.

टिप्पणी.—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पदों पर आरक्षण मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तयों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) उपनियम (4) के अधीन यदि भर्ती के किसी विशिष्ट वर्ष में किसी प्रवर्ग के लिये आरक्षित पद के व्यक्ति उपलब्ध न हों और यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो ये पद आगामी या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में भरे जाने के लिये अग्रनीत किए जाएंगे.

(7) जब किसी वर्ष में आरक्षित प्रवर्ग के समस्त रिक्त पद अग्रनीत किए जाते हैं तो रिक्त पदों की कुल संख्या की गणना आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित रिक्तियों के कोटे के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिये विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्तियाँ भरने से रह जाती हैं तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार भरी जा सकेंगी. नियम 11 के उपनियम (4) में उल्लेखित प्रवर्गों में से यदि कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसका चयन उपनियम (4) के अधीन आरक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है तथा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो समुचित प्राधिकारी या व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(ख) **चयन द्वारा सीधी भरती :**

(1) सेवा में चयन के लिये भर्ती ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि संचालक व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से विनिश्चित करे.

(2) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल यथा अवधारित तरीके से साक्षात्कार/चयन के लिये अभ्यर्थियों की संख्या को घटा सकेगा.

12. **व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—

(1) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि बोर्ड अवधारित करें तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं या जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए बार्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा तथा सरकार को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों तथा नियुक्ति ऐसे रोस्टर से की जायेगी जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्त होने का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि संचालक का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(5) चयन सूची व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा.**—सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी:

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्य में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जिसमें साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

(3) ऐसे पदों में, जहां अनुसूची-दो में, यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति का प्रतिशत उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पद क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये, जो नियम 15 के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हैं, आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पद अथवा पदों पर पदोन्नति हेतु, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.**—

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए जाए किसी अन्य पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हों:

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ से ऊपर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लेखित विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) चयन सूची में विचारार्थ क्षेत्र में व्यक्तियों का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर उपलब्ध समस्त पदों के लिये किए जाएगा तथा इस प्रकार तैयार सूची में उपलब्ध पदों के 25 प्रतिशत पद प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे. ऐसे पदों की दशा में, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले है. विचारण क्षेत्र दो गुना+4 होगा. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, यदि सामान्य विचारण क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपलब्ध रिक्तियों के सात गुना तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.**—

(1) समिति, उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो उक्त समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित सेवा के सदस्यों के पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेच्छित रिक्तियों को भरने के लिये 25 प्रतिशत की आरक्षित सूची भी प्रस्तावित की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन वरिष्ठता, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्ता पर आधारित होगा.

(3) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—वे व्यक्ति, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किए गए हों किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, जो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **चयन सूची.**—

(1) संचालक द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित चयन सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची साधारणतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 16 के उपबंधों के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निवर्हन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, संचालक, उद्यानिकी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (केडर) के पदों पर नियुक्ति उनके फीडर केडर के वरिष्ठता क्रम तथा रोस्टर में उल्लेखित आरक्षित/अनारक्षित पदों को भरने के लिये निर्धारित बिन्दु के अनुसार की जाएगी. किसी भी आरक्षित पद को केवल उसी वर्ग के शासकीय सेवक द्वारा भरा जा सकेगा जिस वर्ग के लिये वह पद आरक्षित है.

टिप्पणी.—चयन सूची के लिये प्रक्रिया तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता और रिक्त पदों को अग्रनीत करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंध तथा इस संबंध में 06-07-2002 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी.

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है.

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन निमयों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की कुल संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	अभ्युक्ति (6)
1	अधीक्षक	9	तृतीय वर्ग	9300-34800+3600	-
2	सहायक प्रोग्रामर	1	-तदैव-	9300-34800+3600	-
3	सहायक अधीक्षक	1	-तदैव-	9300-34800+3200 (सांख्येत्तर)	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	संभागीय लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2800 (सांख्येत्तर)	-
5	सहायक ग्रेड-1	59	-तदैव-	5200-20200+2800	-
6	लेखापाल/संपरीक्षक	74	-तदैव-	5200-20200+2400	-
7	शीघ्रलेखक	14	-तदैव-	9300-34800+2800	-
8	सहायक ग्रेड-2	68	-तदैव-	5200-20200+2400	-
9	ग्रंथपाल	1	-तदैव-	5200-20200+2400	-
10	सहायक ग्रेड-3 (नियमित)	156	-तदैव-	5200-20200+1900 (नियमित)	-
	सहायक ग्रेड-3 (सांख्येतर)	183	-तदैव-	5200-20200+1900 (सांख्येत्तर)	-
11	स्टेनो टाईपिस्ट	10	-तदैव-	5200-20200+1900	-
12	वाहन/ट्रेक्टर चालक	22+8	-तदैव-	5200-20200+1900 (नियमित)	-
	वाहन चालक सांख्येत्तर	21	-तदैव-	5200-20200+1900 (सांख्येत्तर)	-

अनुसूची-दो

(नियम 6 (1) (क) देखिए)

भर्ती का तरीका

अनु-क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता			अभ्युक्ति
			सीधी भर्ती द्वारा [नियम 6(1) (क) देखिए]	सेवा में सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम 6(1)(ख) देखिए]	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा [नियम 6(1)(ग) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अधीक्षक	9	-	100 प्रतिशत	-	
2	सहायक प्रोग्रामर	1	100 प्रतिशत	-	-	
3	सहायक अधीक्षक	1	(सांख्येत्तर)	-	-	
4	संभागीय लेखापाल	1	(सांख्येत्तर)	-	-	
5	सहायक ग्रेड-1	59	-	100 प्रतिशत	-	
6	लेखापाल/संपरीक्षक	72+2	-	100 प्रतिशत	-	
7	शीघ्रलेखक-1	1	-	100 प्रतिशत	-	
	शीघ्रलेखक-2	3	-	100 प्रतिशत	-	
	शीघ्रलेखक-3	10	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत (स्टेनोटायपिस्ट से पदोन्नति)	-	
8	सहायक ग्रेड-2	68	-	100 प्रतिशत	-	
9	ग्रंथपाल	1	100 प्रतिशत	-	-	(सहा. ग्रेड-3 जो कि इस विभाग में कार्यरत है तथा यदि कोई सहायक ग्रेड-3 ग्रंथपाल का डिप्लोमा धारण करता हो).

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	सहायक ग्रेड-3 नियमित सहायक ग्रेड-3 (सांख्येत्तर)	156 (नियमित) 183 (सांख्येत्तर)	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत (चतुर्थ श्रेणी में जो हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण हो अथवा 10+2 पद्धति से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण एवं पांच वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण की हो)	-	-
11	स्टेनो टाईपिस्ट	10	100 प्रतिशत	-	-	-
12	वाहन चालक (ड्रायवर)/ट्रेक्टर चालक	22+8 (नियमित)	100 प्रतिशत	-	-	-
	वाहन चालक	21 (सांख्येत्तर)	-	-	-	-

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भरती हेतु अभ्यर्थी की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	1. सहायक प्रोग्रामर	18	40	एम. एससी/बी.ई. कम्प्यूटर साईंस/आई. टी./इलेक्ट्रानिक एण्ड कम्युनिकेशन.
	2. ग्रन्थपाल	18	40	मान्यता प्राप्त किसी संस्था से स्नातक या ग्रंथपाल का डिप्लोमा अनिवार्य
	3. शीघ्रलेखक वर्ग-3	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी ग्यारवीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट गति से परीक्षा उत्तीर्ण. 3. अभ्यर्थी को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :— (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए. (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(ग) डिप्लोमा स्तर पर डी. ओ. इ. ए. सी. सी. के समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय से मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.
	4. स्टेनो टाईपिस्ट	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मण्डल से पुरानी हायर सेकेण्डरी ग्यारवीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट गति से परीक्षा उत्तीर्ण तथा हिन्दी मुद्रलेखन 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण. 3. अभ्यर्थी को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए :— (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए. (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए. (ग) डिप्लोमा स्तर पर डी. ओ. इ. ए. सी. सी. के समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय से मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.
	5. सहायक ग्रेड-3	18	40	1. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मण्डल से पुरानी हायर सेकण्डरी ग्यारवीं उत्तीर्ण अथवा 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण. 2. मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण. 3. अभ्यर्थी को निम्नलिखित संस्थानों में से किसी एक संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्योलय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए. (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुक्त विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए. (ग) डिप्लोमा स्तर पर डी. ओ. इ. ए. सी. सी. के समतुल्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. (घ) किसी शासकीय पॉलीटेक्नीक महाविद्यालय से मॉर्डन आफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए.
	6. वाहन चालक	18	40	दसवीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा चार पहिया वाहन (हल्के वाहन चलाने की) अनुज्ञप्ति.

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर की गई सेवा के वर्षों की संख्या	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग	1. सहायक अधीक्षक/ मुख्य संपरीक्षक/ संभागीय लेखापाल/ सहायक ग्रेड-1	अधीक्षक	5 वर्ष	**संचालनालय स्तर** 1. अपर/संयुक्त संचालक उद्यानिकी - अध्यक्ष 2. उप संचालक उद्यानिकी - सदस्य 3. सहायक संचालक उद्यानिकी - सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी सदस्य उपस्थित न हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी की रेंक से कम न हो जिसे संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा - सदस्य
	2. लेखापाल /अंकेक्षक/ सहायक ग्रेड-2	सहायक ग्रेड-1 मुख्य लिपिक	5 वर्ष	
	3. सहायक ग्रेड-3	अ-लेखापाल/ अंकेक्षक/	5 वर्ष (लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिये लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है) 45 वर्ष से अधिक उम्र होने पर लेखा प्रशिक्षण से छूट होगी	**संभागीय स्तर पर** 1. संभागीय संयुक्त संचालक, उद्यानिकी - अध्यक्ष 2. उप संचालक, उद्यानिकी - सदस्य 3. संचालनालय का प्रतिनिधि - सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी सदस्य उपस्थित न हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी की रेंक से कम न हो जिसे संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा - सदस्य.
		ब-सहायक ग्रेड-2	5 वर्ष	
	5. भृत्य	सहायक ग्रेड-3	5 वर्ष (हायर सेकेण्डरी/10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण अथवा कम्प्यूटर का अनुभव	

Bhopal, the 13th March 2013

No. F-1-02-2013-58.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Clerical) Service, namely:-

RULES

1. Short title.— These rules may be called the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Clerical) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Horticulture and Farm Forestry;

(b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee constituted under rule 14;

(c) "Director" means the Director of Horticulture and Farm Forestry;

(d) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification no. F 85-XXV-4-84, dated 26th December 1984 as amended from time to time.

(h) "Professional Examination Board" means the Professional Examination Board, Bhopal.

(i) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within in a caste, race or community specified as Schedule Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under aticle 341 of the Constitution of India;

(k) "Schedule Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Clerical) Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to each member of the service as mentioned in schedule I.

4. **Constitution of the Service.**- The service shall consist of the following persons, namely:—

(1) the persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in the Schedule I;

(2) the persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) the persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay and number of posts.—(1)** The classification of the Service, their scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provision contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled to Time-Scale Pay under the provision of Circular dated 24-01-2008 issued by the Finance Department, Government of Madhya Pradesh.

6. **Method of recruitment.**— (1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment through Competitive Examination/Selection;

(b) By promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive or officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.—** All appointments to the posts after the commencement of these rules shall be made by the Director, and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruits.—** In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) The candidate should be a citizen of India;

(2) **Age.—**

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III, but must not have attained the age as specified in column (4) of the Schedule on the first day of January, the year in which direct recruitment is made;

(b) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of five years if a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall also be relexable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant and applying for another post shall not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 5 years.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.— The term "ex-servicemen" denotes a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal

reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalid out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(v) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the intercaste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(vi) The general upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of widow women candidates.

(vii) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of Vikram Award holder candidates.

(viii) The upper age limit shall be relaxed up to 45 years in respect of candidates who are employees of any of the Madhya Pradesh State Corporation/Board.

(ix) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 2 years for those candidates who hold 'Green Card' under the family planning programme.

(x) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non-Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.— (1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in sub clause (i) and (ii) of clause (c) of sub rule (1) of rule 8 above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination /selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

(2) The calculation of maximum age limit for Direct Recruitment in Government Services will be as provided in the Circular No. C 3-11/12/1/3 dated 3-11-2012 and dated 20-11-2012 of General Administration Department.

(3) The maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided in this clause.

(4) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(3) **Educational Qualifications.**—A candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule III. Provided that:—

(a) In exceptional cases, the Government may, on its recommendation treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed

the examinations conducted by other institutions by a standard which in the opinion of the Professional Examination Board, justifies the admission to the examination/selection of the candidate; and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for the selection on the discretion of the Professional Examination Board.

(4) **Fees.**— The Candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.

9. **Disqualifications.**—

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board as disqualification for selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service / promotion. Who is married before the minimum age marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than who living children one of whom is born on or after the 26th day of January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January, 2001 in which two or more than two children are born as twince etc.

(4) No Candidate shall be eligible for appointment for a service or post it he is convicted for an offence against women:

Provided that if the cases are pending against him in any court, the case shall be kept pending till the final decision of the court.

(5) Male candidate who have more than one wives alive and in case of female candidates who has married to a person who has already living wife alive shall not be eligible for appointment.

10. **Professional Examination Board's decision about the eligibility of candidates shall be final.-** The decision of the Professional Examination Board as to the eligibility of candidate for admission to selection shall be final and no candidate to whom certificate of admission has not been issued by the Professional Examination Board shall be admitted for the interview.

11. **Direct Recruitment through Competitive Examination.—**

(a) (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Director may determine in consultation with the Professional Examination Board from time to time.

(2) The selection shall be conducted by the Professional Examination Board in accordance with such orders as issued by the Director from time to time in consultation with the Professional Examination Board.

(3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively. This reservation will be horizontal.

Note.— Reservations of posts for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will be in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(4) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are the member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appeared in the list referred to in the rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe recommended by the Professional Examination Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be.

(6) In a particular year of recruitment under sub-rule (4), if persons from a particular reserved category are not available and the post remains vacant, these posts will be carried forward to be filled in the next or the subsequent years.

(7) In a recruitment year all vacant posts of the reserved category that have been carried forward will not be utilized to calculate the total number of vacant posts and no other persons will be appointed on the quota of reserved vacancies. Appointing Authority will conduct special recruitment drives to fill up such vacancies and if these vacancies still remain vacant they will be filled up as per the directives of the State Government. If a person from the categories mentioned in sub-rule (4) of rule 11 on the basis of merit is able to qualify with the general category candidates in the open competition, his selection will not be adjusted against the vacancies of the reserved category under sub rule (4).

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as a essential condition for posts to be filled in direct recruitment and It is found in the opinion of the Professional Examination Board or any other Competent Authority that there is a possibility that a candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority or the Professional Examination Board may relax this condition of experience to the candidates of Schedule Casts, Schedule Tribes and Other Backward Classes .

(b) Direct recruitment through selection.—

(1) Recruitment for selection in the services shall be hold at such intervals which shall be decided by the Director in consultation with the Professional Examination Board.

(2) The number of candidates called for interview / selection may be decreased by a method as determined by the Professional Examination Board.

12. **List of candidates recommended by the Professional Examination Board.—**

(1) The Professional Examination Board shall prepare and forward and a list to the Government, arranged in order of such merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Board and list of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration. This list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list and the appointment will be made on such roasters as has been provided in the Act.

(3) The inclusion of names the candidate's in the list confers no right to appoint unless the Director is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Before issuing the order of appointment, the Appointing Authority will necessarily obtain character certification for the candidate.

(5) The select list released by the Professional Examination Board shall be valid for the period of one year from the date of its issue.

13. **Probation.—** Every persons through directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. **Appointment by promotion.—**

(1) There shall be constituted a committee for making selections for promotion of eligible candidates consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent category of Schedule Castes or Schedule Tribes then one member belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes category or the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) In such posts in which promotion as specified in Schedule II, 16 percent and 20 percent of the posts total number of available vacancies shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively, who are eligible for promotion under rule 15.

(4) For the promotion of the members of service specified in column (2) of schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidates, selection, process of appointment by the promotions shall be in accordance with the provisions as specified Madhya Pradesh public service (Promotion) rules, 2002 and instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

15. **Conditions for eligibility for promotions.—**

(1) Subject to the provision of sub rule (2), the committee shall consider the cases of all the person, who has completed such number of year of service (whether officiating or substantive) on the Ist day of January of that year on the post from which promotion is to be made on or any other post declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision sub rule (2) :

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub rule.

(2) For selection of persons in the zone of consideration from the select list the principle of Seniority cum Merit will be followed for all the available posts and the list will be so prepared that 25 percent of the available posts are kept as waiting list. In case of posts that are to be filled on Merit-cum-Seniority the zone of consideration will be two times plus four of the posts available to be filled up by promotion. In case of candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if persons are not available in sufficient number from the normal zone of consideration then the zone of consideration can be increased to seven times of the available vacancies.

16. **Preparation of List of Suitable persons.—**

(1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who fulfills the conditions prescribes in the rule 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies occurring on account of retirement or promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list. A reserve list of 25 percent of the members of service included in the said list shall also be proposed in order to fulfill the unforeseen vacancies occurring during the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion of names in such list shall be based on seniority, merit and suitability in all respect.

(3) The names of the employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.— The person whose names are included in the select list shall have no claim to seniority over those persons but those who are not promoted during the validity of list considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Select List.**— (1) The select list finally approved by the Director shall from the select list for promotion of the members of the service specifies from the posts specified in column (2) of Schedule IV to the posts specifies in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list will ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of Rule 16, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its prepared :

Provided that in the event of a grove lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Director, Horticulture and the committee may, If deems fit, may remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List.**—Appointments of the persons included in the Select List to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order of seniority of the feeder cadre and the roaster sequence decided for filling up the reserved/unreserved posts. A reserved post will be filled up only by Government Servant belonging to the group for which the post has been reserved.

Note.— The procedure for select list and their relative seniority and carry forward of vacant post shall be in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion Rules), 2002 and the guidelines issued in this regard on 06/07/2002.

19. **Interpretation.**— If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.**— Nothing in these rules shall be construed as to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to just and equitable :

Provided that no case shall be dealt with is any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Government from time to time and will be in compliance with Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

22. **Repeal and saving.**— All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I

(See Rule 5)

S.No. (1)	Name of Post included in service (2)	Number of Posts (3)	Classification (4)	Pay-scale (5)	Remark (6)
1.	Superintendent	9	Class-III	9300-34800+3600	
2.	Assistant Programmer	1	Class-III	9300-34800+3600	
3.	Assistant Superintendent	1	Class-III	9300-34800+3200 (super numeric)	
4.	Divisional Accountant	1	Class-III	5200-20200+2800 (Super Numeric)	
5.	Assistant Grade-1	59	Class- III	5200-20200+2800	
6.	Accountant/Auditor	74	Class- III	5200-20200+2400	
7.	Stenographer	14	Class- III	9300-34800+2800	
8.	Assistant Grade-2	68	Class- III	5200-20200+2400	
9.	Librarian	1	Class- III	5200-20200+2400	
10.	Assistant Grade-3 (Regular)	156	Class- III	5200-20200+1900 (Regular)	
	Assistant Grade-3 (Super Numeric)	183	Class- III	5200-20200+1900 (Super Numeric)	
11.	Steno typist	10	Class- III	5200-20200+1900	
12.	Vehicle/Tractor Driver	22+8	Class- III	5200-20200+1900 (Regular)	
	Vehicle/Driver (Super Numeric)	21	Class- III	5200-20200+1900 (Super Numeric)	

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

S.No.	Name of Post included in service	No. of Posts	Percentage of posts to be filled			Remarks
			By direct recruitment {see rule 6(1)(a)}	By promotion of members of service {see 6(1)(b)}	By Transfer our deputation of persons of other services {see rule 6(1)(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Superintendent	9	-	100%	-	-
2.	Assistant Programmer	1	100%	-	-	
3.	Assistant Superintendent	1	Super Numeric	-	-	
4.	Divisional Accountant	1	Super Numeric	-	-	
5.	Assistant Grade-1	59	-	100%	-	
6.	Accountant/Auditor	74	-	100%	-	
7.	Stenographer-1	1	-	100%		
	Stenographer-2	3		100%		
	Stenographer-3	10	-	50%	-	
			50%	Promotion from Steno typist		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8.	Assistant Grade-2	68	-	100%	-	
9.	Librarian	1	100%	-		Any Assistant Grade-3 those who are working in this Department and having Diploma in Library
10.	Assistant Grade-3 (Regular) Assistant Grade-3 (Super Numeric)	156 (Regular) 183 (Super Numeric)	75%	25% from Class-IV employees those who have passed higher secondary or 10+2 or 12th and completed 5 years as regular services		
11.	Steno typist	10	100%	-	-	
12.	Vehicle/Tractor Driver	22+8	100%	-	-	
	Vehicle/Driver (Super Numeric)	21				

SCHEDULE-III

(See Rule 8)

Age and Qualification of the Candidate for direct recruitment

Name of the Department (1)	Name of Post included in service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Minimum Educational Qualification (5)
Department of Horticulture and Food Processing	Assistant Programmer	18 Years	40 Years	M.Sc. / B.E. Computer Science/IT / Electronic and Communication
	Librarian	18 Years	40 Years	Graduate or Diploma in Library from any recognized institution.
	Stenographer-3	18 Years	40 Years	(1) Must have passed Higher Secondary old pattern or 12th pass in 10+2 pattern from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any other Board recognized by State Government. (2) Must have passed Hindi Short Hand with a speed of 100 words per minute from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(3) The candidate must have passed computer examination from any one of the following institutes.– (a) Must have passed diploma computer examination from the University recognized by University Grand Commission. (b) Must have passed diploma in computer examination from the Open University recognized by University Grand Commission. (c) Must have passed any examination equivalent to DOEACC at diploma level. (d) Must have passed modern office management curriculum from any Government Polytechnic College.
	Steno typist	18 Years	40 Years	(1) Must have passed Higher Secondary old pattern or 12th pass in 10+2 pattern from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any other Board recognized by State Government. (2) Must have passed Hindi Short Hand with a speed of 80 words per minute from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board. (3) The candidate must have passed computer examination from any one of the following institutes.— (a) Must have passed diploma computer examination from the University recognized by University Grand Commission. (b) Must have passed diploma in computer examination from the Open University recognized by University Grand Commission. (c) Must have passed any examination equivalent to DOEACC at diploma level. (d) Must have passed modern office management curriculum from any Government Polytechnic College.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Assistant Grade-3	18 Years	40 Years	(1) Must have passed Higher Secondary old pattern or 12th pass in 10+2 pattern from Board of Secondary Education Madhya Pradesh or any other Board recognized by State Government. (2) Must have passed Hindi Typing Examination with a speed of 25 words per minute from the Madhya Pradesh Shorthand and Typing Board. (3) The candidate must have passed computer examination from any one of the following institutes.- (a) Must have passed diploma computer examination from the University recognized by University Grand Commission. (b) Must have passed diploma in computer examination from the Open University recognized by University Grand Commission. (c) Must have passed any examination equivalent to DOEACC at diploma level. (d) Must have passed modern office management curriculum from any Government Polytechnic College.
	Vehicle Driver	18 Years	40 Years	10th passed and having four-wheel (light motor vehicle)driving license

SCHEDULE-IV
(See rule 14)

Name of Department	Name of Post from which promotion is to be made	Name of post to which promotion is	Length of service (years) which to be shown in Column 2	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Horticulture and Food Processing	Assistant Superintendent/ Chief Auditor/Divisional Accountant/ Assistant Grade-1	Superintendent	5 years	**Directorate level-** 1. Additional/Joint Director Horticulture —Chairman

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Accountant/Auditor/ Assistant Grade-2	Assistant Grade-1	5 years	2. Deputy Director Horticulture -Member.
	Assistant Grade-3	(a) Accountant/ Auditor	5 years for Accountant-Account Examination should be passed (relaxation from accounts training after 45 years of age)	3. Assistant Director Horticulture -Member 4. If there is no member of Schedule Caste and Schedule Tribe represent in the above committee then any one member of Schedule Caste and Schedule Tribe who shall not be below the rank of class-II officer shall be nominated by the Director - Member.
		(b) Assistant Grade-2	5 years	**Divisional Level**
	Peon	Assistant Grade-3	5 years (Passed Higher Secondary or 12th Examination Experience in computer operations.	1. Divisional/Joint Director Horticulture-Chairman 2. Deputy Director Horticulture-Member 3. Member from Directorate 4. If there is no member of Schedule Caste and Schedule Tribe represent in the above Committee then any one memebr of Schedule Caste and Schedule Tribe who shall not be below the rank of Class-II Officer shall be nominated by the Director-Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ओ. पी. तंवर, अपर सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2013

क्र. एफ-1-02-2013-अट्ठावन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 है.

(2) ये ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है, संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है, नियम 14 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति;

(ग) ''संचालक'' से अभिप्रेत है, संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण;

(घ) ''परीक्षा'' से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये संचालित प्रतियोगिता परीक्षा;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;

(च) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;

(छ) ''अन्य पिछड़ा वर्ग'' से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्र. एफ-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 सितम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(ज) ''व्यावसायिक परीक्षा मण्डल'' से अभिप्रेत है, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल;

(झ) ''अनुसूची'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ञ) ''अनुसूचित जाति'' से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ट) ''अनुसूचित जनजाति'' से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;

(ठ) ''सेवा'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश उद्यानिकी अराजपत्रित (अलिपिकीय) की सेवा;

(ड) ''राज्य'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची—एक में यथाउल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा में निम्नलिखित होंगे,—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप अथवा स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान तथा पदों की संख्या.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के प्रावधानों के अधीन समयमान वेतनमान के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में यथाविनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या की अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, शासन द्वारा अवधारित की जाएगी.

(4) उपनियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना आवश्यक हो तो शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्वी सहमति के पश्चात् उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करें.

7. **सेवा में नियुक्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, संचालक द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भरती के लिए पात्रता की शर्तें.**—चयन के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:—

(1) अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए.

(2) **आयु.**—

(क) उस वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती की जाना हो, पहली जनवरी को उसने अनुसूची तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण नहीं की हो;

(ख) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी शासकीय सेवक हो तथा दूसरे पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण.—ऐसे अभ्यर्थी जो "भूतपूर्व सैनिक" हैं, से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छह मास की निरन्तर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन करने की तारीख से, अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो और —

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर;

सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो.

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक.

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हों.

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छह मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो.

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं.

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो.

(पांच) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छह) विधवा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(सात) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल होगी.

(आठ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध, में जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल होगी.

(नौ) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा दो वर्ष तक शिथिल होगी.

(दस) नगर सेना होम गार्ड्स के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नॉन-कमीशन्ड अधिकारियों के मामले, में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी. यह शिथिलीकरण 3 वर्ष तक होगा, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

टिप्पणी.— (1) ऐसी अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 के उप नियम (1) के खण्ड (ग) के उप खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए सम्मिलित किया दिया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके पश्चात् सेवा से त्याग-पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे.

(2) शासकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिये अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11/12/1/3, दिनांक 3-11-2012 तथा दिनांक 20-11-2012 में यथाउल्लिखित अनुसार होगी.

(3) इस खण्ड में उपबंधित समस्त रियायतें सम्मिलित करते हुए समस्त श्रेणियों में अतिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(4) विभागीय अभ्यर्थियों को चयन में उपस्थित होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करना होगी.

(3) **शैक्षणिक अर्हताएं.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-3 के कालम (5) में दर्शाई गई निर्धारित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए :

परंतु,—

(क) आपवादिक मामलों में शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिये योग्य समझता हो; और

(ख) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के विवेक पर चयन के लिये ऐसे अभ्यर्थी पर भी विचार किया जा सकेगा जो अन्यथा अर्हित हैं किन्तु जिन्होंने विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हैं, जो सरकार द्वारा विशिष्टतया मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों.

(4) **फीस.**—अभ्यर्थी को व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रयास को, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता के रूप में माना जा सकेगा.

(2) कोई अभ्यर्थी सेवा/पदोन्नति में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा जिसने विवाह के लिये न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो.

(3) कोई व्यक्ति जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक जुड़वा संतान के रूप में जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी, जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोषसिद्ध है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध मामले लंबित हैं, तो मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जायेगा.

(5) कोई पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और किसी ऐसी महिला अभ्यर्थियों के मामले में, जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी.

10. **अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा.**—चयन के लिये प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में व्यवसायिक परीक्षा मण्डल का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :**

(क) (1) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि संचालक, समय-समय पर, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की सलाह से अवधारित करे.

(2) परीक्षा व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी जैसा कि संचालक, समय-समय पर, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल की सलाह से जारी करे.

(3) सीधी भर्ती के लिये उपलब्ध रिक्तियों के 16 प्रतिशत, 20 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान क्रमशः ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रहेंगे जो क्रमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं. यह आरक्षण हीरोजेन्टल (क्षैतिज) होगा.

टिप्पणी.—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के पदों पर आरक्षण मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार होगा.

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो.

(5) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा.

(6) उपनियम (4) के अधीन यदि भर्ती के किसी विशिष्ट वर्ष में किसी प्रवर्ग के लिये आरक्षित पद के व्यक्ति उपलब्ध न हों और यदि पद रिक्त रह जाते हैं तो ये पद आगामी या किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में भरे जाने के लिये अग्रनीत किए जाएंगे.

(7) जब किसी वर्ष में आरक्षित प्रवर्ग के समस्त रिक्त पद अग्रनीत किए जाते हैं तो रिक्त पदों की कुल संख्या की गणना आरक्षित रिक्तियों के कोटे पर नहीं की जाएगी और किसी अन्य व्यक्ति को आरक्षित रिक्तियों के कोटे के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा. नियुक्ति प्राधिकारी ऐसी रिक्तियों को भरने के लिये विशेष भर्ती कर सकेगा और यदि ऐसी रिक्तियाँ भरने से रह जाती हैं तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार भरी जा सकेंगी. नियम 11 के उपनियम (4) में उल्लेखित प्रवर्गों में से यदि कोई व्यक्ति सामान्य अभ्यर्थियों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चयनित हो जाता है तो उसका चयन उपनियम (4) के अधीन आरक्षित प्रवर्ग की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा.

(8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है तथा व्यवसायिक परीक्षा मण्डल या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, तो नियुक्ति प्राधिकारी या व्यवसायिक परीक्षा मण्डल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(ख) **चयन द्वारा सीधी भरती :—**

(1) सेवा में चयन के लिए भर्ती ऐसे अंतरालों से की जायेगी जैसा कि संचालक, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल के परामर्श से विनिश्चित करे.

(2) व्यवसायिक परीक्षा मण्डल यथा अवधारित तरीके से साक्षात्कार/चयन के लिये अभ्यर्थियों की संख्या को घटा सकेगा.

12. **व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.**—

(1) व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि बोर्ड अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं या जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् रखते हुए बोर्ड द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा तथा सरकार को अग्रेषित करेगा. यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी.

(2) इन नियमें तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों तथा नियुक्ति ऐसे रोस्टर से की जायेगी जैसा कि अधिनियम में उपबंधित किया गया है.

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्त होने का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि संचालक का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा.

(5) चयन सूची व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिये विधिमान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा.**—सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गये प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**—

(1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों से मिलकर एक समिति गठित की जाएगी :

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्यों से भिन्न नामनिर्दिष्ट सदस्य में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी.

(2) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जिसमें साधारणत: एक वर्ष से अधिक का अंतरात नहीं होगा.

(3) ऐसे पदों में, जहां अनुसूची-दो में, यथा विनिर्दिष्ट पदोन्नति का प्रतिशत उपलब्ध रिक्तियों की कुल संख्या के 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत पद क्रमश: अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिये, जो नियम 15 के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हैं, आरक्षित रखे जाएंगे.

(4) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की उसके कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट पद अथवा पदों पर पदोन्नति हेतु, अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी.

15. **पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—**

(1) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए जाए किसी अन्य पदों पर उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हों:

परंतु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ से ऊपर केवल इस आधार पर अधिमान नहीं दिया जाएगा कि उसने इस उपनियम में उल्लेखित विहित सेवा पूर्ण कर ली है.

(2) चयन सूची में विचारार्थ क्षेत्र में व्यक्तियों का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के सिद्धांत पर उपलब्ध समस्त पदों के लिये किया जाएगा तथा इस प्रकार तैयार सूची में उपलब्ध पदों के 25 प्रतिशत पद प्रतीक्षा सूची में रखे जाएंगे. ऐसे पदों की दशा में, जो योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले है. विचारण क्षेत्र दो गुना+4 होगा. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, यदि सामान्य विचारण क्षेत्र से पर्याप्त संख्या में व्यक्ति उपलब्ध नहीं होते हैं तो उपलब्ध रिक्तियों के सात गुना तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा.

16. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—**

(1) समिति, उपयुक्त व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जो उक्त समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों. यह सूची, चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति या पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी. उक्त सूची में सम्मिलित सेवा के सदस्यों के पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनवेच्छित रिक्तियों को भरने के लिये 25 प्रतिशत की आरक्षित सूची भी प्रस्तावित की जाएगी.

(2) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये चयन वरिष्ठता, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्ता पर आधारित होगा.

(3) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के मानदण्ड के क्रम में रखे जाएंगे.

स्पष्टीकरण.—वे व्यक्ति, जिनके नाम चयन सूची में सम्मिलित किए गए हों किन्तु जिन्हें सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उनके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन सूची में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेंगे.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जाएगा.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए, तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

17. **चयन सूची.—**

(1) संचालक द्वारा अंतिम रूप से यथा अनुमोदित चयन सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) चयन सूची साधारणतया तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक कि नियम 16 के उपबंधों के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं कर लिया जाता किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किये जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से परे नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निवर्हन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, संचालक, उद्यानिकी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और समिति, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे.

18. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**—चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग (केडर) के पदों पर नियुक्ति उनके फीडर केडर के वरिष्ठता क्रम तथा रोस्टर में उल्लेखित आरक्षित/अनारक्षित पदों को भरने के लिये निर्धारित बिन्दु के अनुसार की जाएगी. किसी भी आरक्षित पद को केवल उसी वर्ग के शासकीय सेवक द्वारा भरा जा सकेगा जिस वर्ग के लिये वह पद आरक्षित है.

टिप्पणी.—चयन सूची के लिये प्रक्रिया तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता और रिक्त पदों को अग्रनीत करने की प्रक्रिया मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2002 के उपबंध तथा इस संबंध में 06-07-2002 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी.

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है, तो वह सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा.

20. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति में नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उस व्यक्ति के लिये कम अनुकूल हो.

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों में की कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर बनाए गए नियमों या जारी किए गए अनुदेशों/आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

22. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्द्वारा, निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक

(नियम 5 देखिए)

अनु-क्रमांक (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	पदों की संख्या (3)	वर्गीकरण (4)	नियुक्ति प्राधिकारी (5)	वेतनमान (6)	अभ्युक्तियां (7)
1	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	376	तृतीय श्रेणी (अलिपिक (वर्गीय).	संचालक उद्यानिकी	9300-34800+3600	-
2	उद्यान विकास अधिकारी	379	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+2800	-
3	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	1099	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+2400	-
4	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	2	-तदैव-	-तदैव-	9300-34800+3600	-
5	प्रयोगशाला सहायक	1	-तदैव-	-तदैव-	5200-20200+1900	-

अनुसूची-दो

(नियम 6 देखिए)

भर्ती का तरीका

विभाग का नाम	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या की प्रतिशतता			अभ्युक्तियां
			सीधी भर्ती नियम 6(1) (क) देखिए	पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(ख) देखिए	अन्य सेवा से स्थानांतरण द्वारा नियम 6(1) (ग)देखिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	376	30 प्रतिशत	70 प्रतिशत	—	—
	उद्यान विकास अधिकारी.	379	—	100 प्रतिशत	—	—
	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी.	1099	90 प्रतिशत	10 प्रतिशत	पद माली से भरे जायेंगे जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है एवं जिनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो तथा एन.सी. व्ही.टी. के तहत विभाग द्वारा लागू किये गये 600 घंटे के प्रशिक्षण को उत्तीर्ण किया गया हो.	सीधी भरती प्रतियोगी परीक्षा द्वारा.
	सहायक सांख्यकी अधिकारी.	2	100 प्रतिशत	—	—	—
	प्रयोगशाला सहायक.	1	—	100 प्रतिशत	लेब बॉय से पदोन्नत.	

अनुसूची-तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम (1)	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतम आयु सीमा (4)	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता (5)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी.	21 वर्ष	40 वर्ष	उद्यानिकी से स्नातकोत्तर
	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी.	तदैव	तदैव	कृषि/कृषि-अभियांत्रिकी/उद्यानिकी में स्नातक
	सहायक सांख्यकी अधिकारी.	21 वर्ष	40 वर्ष	मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी,वाणिज्य तथा गणित विषयों में से किसी एक विषय में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि.

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम (1)	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)	कॉलम (2) में दर्शाए गए पद पर की गई सेवा के वर्षों की संख्या (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	उद्यान विकास अधिकारी.	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	5 वर्ष	1. संचालक/अपर/संयुक्त संचालक उद्यानिकी —अध्यक्ष 2. उप संचालक, उद्यानिकी —सदस्य 3. संचालक द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी. —सदस्य 4. यदि उपरोक्त समिति में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई भी सदस्य उपस्थित न हो तो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कोई एक सदस्य जो द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी की रेंक से कम न हो जिसे संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा. —सदस्य.
	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी.	उद्यान विकास अधिकारी.	5 वर्ष	
	माली	ग्रा.उ.वि. अधिकारी	15 वर्ष	
	लेबबाय	प्रयोगशाला सहायक	10 वर्ष	

Bhopal, the 13th March 2013

No. F-1-02-2013-LVIII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and service conditions of the members of the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Non-Clerical) Service, namely:—

RULES

1. **Short title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Non-Clerical) Service Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Horticulture and Farm Forestry;

(b) "Committee" means the Departmental Promotion Committee constituted under rule 14;

(c) "Director" means the Director of Horticulture and Farm Forestry.

(d) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Other Backward Classes" means the other backward classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification no. F 85-XXV-4-84 dated 26th December 1984 as amended from time to time.

(h) "Professional Examination Board" means the Professional Examination Board, Bhopal.

(i) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(j) "Scheduled Castes" means any caste, race or tribe or part of or group within a caste, race or community specified as Schedule Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under aticle 341 of the Constitution of India;

(k) "Schedule Tribes" means any tribe, tribal community or part of or group within a tribe or tribal community specified as Scheduled Tribe with respect to the State of Madhya Pradesh under article 342 of the Constitution of India;

(l) "Service" means the Madhya Pradesh Horticulture Non-Gazetted (Non-Clerical) Service;

(m) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application**..—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to each member of the service as mentioned in schedule I.

4. **Constitution of the Service.**— The service shall consist of the following persons, namely :—

(1) the persons who at the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the posts specified in the Schedule I;

(2) the persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(3) the persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay and number of posts.**—(1) The classification of the Service, their scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provision contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service either on a permanent or temporary basis.

(2) Members of the service shall be entitled to Time-Scale Pay under the provision of Circular dated 24-01-2008 issued by the Finance Department, Government of Madhya Pradesh.

6. **Method of recruitment..**—(1) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by one of the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment through Competitive Examination/ Selection;

(b) By promotion of the members of the service, as specified in column (2) of Schedule IV;

(c) By transfer of persons who hold in a substantive or officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited, under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of posts as specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so require, it may after prior concurrence of the General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service, other than those specified in the said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the posts after the commencement of these rules shall be made by the Director, and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of direct recruits.**— In order to be eligible for selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:—

(1) The candidate should be a citizen of India;

(2) Age—

(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III, but must not have attained the age as specified in column (4) of the Schedule on the first day of January, the year in which direct recruitment is made;

(b) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of five years if a candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes;

(c) The upper age limit shall also be relexable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

(i) A candidate who is a permanent Government Servant should not be more than 45 years of age;

(ii) A candidate who is a temporary Government Servant and applying for another post shall not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committees;

(iii) A candidate, who is a retrenched Government servant, shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 5 years.

(iv) A candidate, who is an ex-serviceman, shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "ex-servicemen" denotes a person, who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service:—

(1) Ex-servicemen released under mustering out concessions.

(2) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on

(a) Completion of short term engagement,

(b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including Short Service Regular Commissioned Officers.

(5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(6) Ex-servicemen invalid out of service.

(7) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds etc.

(v) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of five years in respect of awarded superior caste partner of couple under the intercaste marriage incentive programme of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Welfare Department.

(vi) The general upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of widow women candidates.

(vii) The upper age limit shall be relaxed up to five years in respect of Vikram Award holder candidates.

(viii) The upper age limit shall be relaxed up to 45 years in respect of candidates who are employees of any of the Madhya Pradesh State Corporation/Board.

(ix) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 2 years for those candidates who hold 'Green Card' under the family planning programme.

(x) The general upper age limit shall be relaxed in case of Voluntary Home-guards and Non- Commissioned Officers of Home-guards for a period of service rendered by them subject to the limit of 3 years but in no case their age should exceed 45 years.

Note.— (1) Candidates, who are admitted to the examination/selection under the concessions mentioned in sub clause (i) and (ii) of clause (c) of sub-rule (1) of rule 8 above, shall not be eligible for appointment, if after submitting the application, they resign from service either before or after examination /selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application. In no other case their age limit shall not be relaxed.

(2) The calculation of maximum age limit for Direct Recruitment in Government Services will be as provided in the Circular No. C 3-11/12/1/3 dated 3-11-2012 and dated 20-11-2012 of General Administration Department.

(3) The maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided in this clause.

(4) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(3) **Educational Qualifications.**—A candidates must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule II Provided that:—

(a) In exceptional cases, the Government may, on its recommendation treat as qualified any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause has passed the examinations conducted by other institutions by a standard which in the opinion of the Professional Examination Board, justifies the admission to the examination/selection of the candidate; and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from Foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government, may also be considered for the selection on the discreation of the Professional Examination Board.

(4) **Fees.**— The Candidate must pay the fees prescribed by the Professional Examination Board.

9. **Disqualifications:**—

(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Professional Examination Board as disqualification for selection.

(2) No candidate shall be eligible for appointment to the service / promotion. Who is married before the minimum age marriage.

(3) No person shall be eligible for appointment to the service or post, who has more than who living children one of whom is born on or after the 26th day of January 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th day of January 2001 in which two or more than two children are born as twince etc.

(4) No Candidate shall be eligible for appointment for a service or post it he is convicted for an offence against women:

Provided that if the cases are pending against him in any court, the case shall be kept pending till the final decision of the court.

(5) Male candidate who have more than one wives alive and in case of female candidates who has married to a person who has already living wife alive shall not be eligible for appointment.

10. **Professional Examination Board's decision about the eligibility of candidates shall be final.**— The decision of the Professional Examination Board as to the eligibility of candidate for admission to selection shall be final and no candidate to whom certificate of admission has not been issued by the Professional Examination Board shall be admitted for the interview.

11. **Direct Recruitment through Competitive Examination.—**

(a) (1) The competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Director may determine in consultation with the Professional Examination Board from time to time.

(2) The selection shall be conducted by the Professional Examination Board in accordance with such orders as issued by the Director from time to time in consultation with the Professional Examination Board.

(3) 16 percent, 20 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes respectively. This reservation will be horizontal.

Note: Reservations of posts for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes will be in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

(4) In filling the vacancies so reserved, the candidates who are the member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appeared in the list referred to in the rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribe recommended by the Professional Examination Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be.

(6) In a particular year of recruitment under sub-rule (4), if persons from a particular reserved category are not available and the post remains vacant, these posts will be carried forward to be filled in the next or the subsequent years.

(7) In a recruitment year all vacant posts of the reserved category that have been carried forward will not be utilized to calculate the total number of vacant posts and no other persons will be appointed on the quota of reserved vacancies. Appointing Authority will conduct special recruitment drives to fill up such vacancies and if these vacancies still remain vacant they will be filled up as per the directives of the State Government. If a person from the categories mentioned in sub-rule (4) of rule 11 on the basis of merit is able to qualify with the general category candidates in the open competition, his selection will not be adjusted against the vacancies of the reserved category under sub rule (4).

(8) In such cases, where experience of some period has been prescribed as a essential condition for posts to be filled in direct recruitment and It is found in the opinion of the Professional Examination Board or any other Competent Authority that there is a possibility that a candidates belonging to

Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes may not be available in sufficient number, the Competent Authority or the Professional Examination Board may relax this condition of experience to the candidates of Schedule Casts, Schedule Tribes and Other Backward Classes.

(b) **Direct recruitment through selection.—**

(1) Recruitment for selection in the services shall be hold at such intervals which shall be decided by the Director in consultation with the Professional Examination Board.

(2) The number of candidates called for interview / selection may be decreased by a method as determined by the Professional Examination Board.

12. **List of candidates recommended by the Professional Examination Board.—**

(1) The Professional Examination Board shall prepare and forward and a list to the Government, arranged in order of such merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Board and list of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who though not qualified by that standard, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of the efficiency of administration. This list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Service (General Conditions of Service) Rules, 1961, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies from the list in the order in which their names appear in the list and the appointment will be made on such roasters as has been provided in the Act.

(3) The inclusion of names the candidate's in the list confers no right to appoint unless the Director is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) Before issuing the order of appointment, the Appointing Authority will necessarily obtain character certification for the candidate.

(5) The select list released by the Professional Examination Board shall be valid for the period of one year from the date of its issue.

13. **Probation.—**Every persons through directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

14. **Appointment by promotion—**

(1) There shall be constituted a committee for making selections for promotion of eligible candidates consisting of the members mentioned in Scheduled IV:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the committee in respect of the post to be filled up by the promotion do not represent category of Schedule Castes or Schedule Tribes then one member belonging to Schedule Castes or Schedule Tribes category or the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the number of members of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The Departmental Promotion Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) In such posts in which promotion as specified in Schedule II, 16 percent and 20 percent of the posts total number of available vacancies shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively, who are eligible for promotion under rule 15.

(4) For the promotion of the members of service specified in column (2) of schedule IV to the posts as specified in column (3) thereof the eligibility of candidates, selection, process of appointment by the promotions shall be in accordance with the provisions as specified Madhya Pradesh public service (Promotion) rules, 2002 and instructions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time.

15. **Conditions for eligibility for promotions.—**

(1) Subject to the provision of sub rule (2), the committee shall consider the cases of all the person, who has completed such number of year of service (whether officiating or substantive) on the Ist day of January of that year on the post from which promotion is to be made on or any other post declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provision sub rule (2) :

Provided that any junior person shall not be given preference over the senior only on the ground that he has completed prescribed service mentioned in this sub rule.

(2) For selection of persons in the zone of consideration from the select list the principle of Seniority-cum-Merit will be followed for all the available posts and the list will be so prepared that 25 percent of the available posts are kept as waiting list. In case of posts that are to be filled on Merit-cum-Seniority the zone of consideration will be two times plus four of the posts available to be filled up by promotion. In case of candidates from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if persons are not available in sufficient number from the normal zone of consideration then the zone of consideration can be increased to seven times of the available vacancies.

16. **Preparation of List of Suitable persons.—**

(1) The Committee shall prepare a list of suitable persons who fulfills the conditions prescribes in the rule 15 above and are held by the committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies occurring on account of retirement or promotion during the course of one year from the date of preparation of selection list. A reserve list of 25 percent of the members of service included in the said list shall also be proposed in order to fulfill the unforeseen vacancies occurring during the aforesaid period.

(2) The selection for inclusion of names in such list shall be based on seniority, merit and suitability in all respect.

(3) The names of the employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of each select list.

Explanation.—The person whose names are included in the select list shall have no claim to seniority over those persons but those who are not promoted during the validity of list considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the service, the committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Select List.**—

(1) The select list finally approved by the Director shall from the select list for promotion of the members of the service specifies from the posts specified in column (2) of Schedule IV to the posts specifies in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list will ordinarily remain in force till it is either reviewed or revised as per the provisions of rule 16, but its validity shall not be extended beyond a period of 18 months from the date of its prepared:

Provided that in the event of a grove lapse in the conduct or performance of duties on the post of any person included in the select list, special review of the select list may be made at the instance of the Director, Horticulture and the committee may, If deems fit, may remove the name of such person from the select list.

18. **Appointment to the Service from the Select List.**—Appointments of the persons included in the Select List to the posts borne on the cadre of the service shall follow the order of seniority of the feeder cadre and the roaster sequence decided for filling up the reserved/unreserved posts. A reserved post will be filled up only by Government Servant belonging to the group for which the post has been reserved.

Note.—The procedure for select list and their relative seniority and carry forward of vacant post shall be in accordance with the provision of the Madhya Pradesh Public Service (Promotion Rules), 2002 and the guidelines issued in this regard on 06/07/2002.

19. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government, whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation**—Nothing in these rules shall be construed as to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to it to just and equitable:

Provided that no case shall be dealt with is any manner less favorable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders issued by the Government from time to time and will be in compliance with Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994.

22. **Repeal and saving.**—All rules corresponding to these rules and inforce immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE-I
(*See* Rule 5)

S.No.	Name of Post Included in the Service	Number of Posts	Classification	Appointment Authority	Scale of Pay	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Senior Horticulture Development Officer	376	Class-III (Non-Clerical)	Director, Horticulture	9300-34800 +3600	—
2.	Horticulture Development Officer.	379	-do-	-do-	5200-20200 +2800	—
3.	Rural Horticulture Extension Officer.	1099	-do-	-do-	5200-20200 +2400	—
4.	Assistant Statistical Officer.	2	-do-	-do-	9300-34800 +3600	—
5.	Laboratory Assistant	1	-do-	-do-	5200-20200 +1900	—

SCHEDULE-II
(*see* Rule 6)

Name of Department	Name of the Post included in the Service	Total number of Posts	Percentage of posts to be filled			Remark
			By direct recruitment {see rule 6 (1)(a)}	By promotion of members of service {see 6(1) (b)}	By Transfer our deputation of persons of other services {see rule 6(1)(c)}	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Horticulture and Food Processing	Senior Horticulture Development Officer	376	30%	70%	—	Direct recruitment by competitive examination
	Horticulture Development Officer.	379	—	100%	—	
	Rural Horticulture Extension Officer.	1099	90%	10%	From gardner those who have completed 15 years of service and the qualification is minimum graduate with 600 hours passed training from National Council for Vocational Training	Direct recruitment by Competitive examination
	Assistant Statistical Officer	2	100%	—		Direct recruitment by Competitive examination.
	Laboratory Assistant	1	—	100%	Promoted from Lab Boy	

SCHEDULE-III
(*See* Rule 8)

Name of the Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Minimum Educational Qualification (5)
Department of Horticulture and Food Processing	Senior Horticulture Development Officer	21 Years	40 Years	Post-Graduation in Horticulture
	Rural Horticulture Extension Officer	-do-	-do-	Graduate from Agriculture/Agriculture Engineering/Horticulture
	Assistant Statistical Officer	-do-	-do-	Minimum Second division post Graduate degree from any recoganised University in one of subject Economic, Statistics Commerce and Maths.

SCHEDULE-IV
(*See* Rule 14)

Name of Department (1)	Name of Post from which promotion is to be made (2)	Name of post to which promotion is to be made (3)	Length of service (years) which to be shown in column (2) (4)	Name of members of Departmental Promotion Committee (5)
Horticulture and Food Processing	Horticulture Development Officer	Senior Horticulture Development Officer	5 Years	1. Director/Additional/ Joint Director - Chairman
	Rural Horticulture Extension Officer	Horticulture Development Officer	5 Years	2. Deputy Director Horticulture - Member
	Gardener	Rural Horticulture Extension Officer	15 Years	3. Any Gazetted officer nominated by Director - Member
	Lab Boy	Laboratory Assistant	10 Years	4. 4. If there is no member of Schedule Caste and Schedule Tribe represent in the above committee then any one member of Schedule Caste and Schedule Tribe who shall not be below the rank of class-II officer shall be nominated by the Director - Member.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. पी. तंवर, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.